

12-10-21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

अनाजीत

बनाम

सरकार

नम्बर 67 सन् 2021

किस्म गुंकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
12/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार श्रीवा शर्मा रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/120 दिनांक 12/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कवांटी में प्रार्थी के नाम चक 7 P.P.B की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता सं. 6 में 5 B.B</p> <p>श्रीवा शर्मा के स्थान पर 5 B.1 श्रीवा शर्मा</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्रीवा शर्मा रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 7 P.P.B तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता सं. 6 में 5 B.B श्रीवा शर्मा के स्थान पर 5 B.1 श्रीवा शर्मा</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

